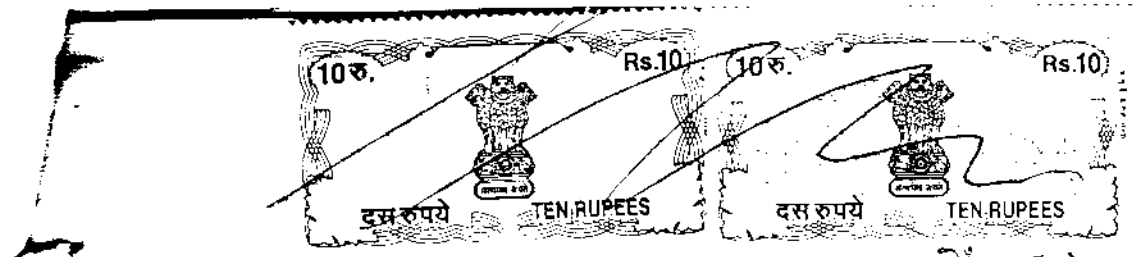

10 रु. Rs.10 10 रु. Rs.10
दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल बेंच भोपाल म.प्र.

R-1377-PBR/14

दिनेश कुमार आ0 शिवलाल निवासी ग्राम हाजली
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.————————————————पुनरीक्षणकर्ता

//विरूद्ध//

1/ हरप्रसाद आ0 इमरतलाल आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम -- हाजली
तह0 गौहरगंज जिला रायसेन म0प्र0 ——————————————पुनरीक्षण ग्रहीता

2/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा तह0 गौहरगंज जि0—रायसेन

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह प्रार्थना है कि:—

महोदय,

पुनरीक्षण कर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्री मान तहसीलदार महोदय, तह0—गौहरगंज के सीमांकन प्रकरण कमांक 31/रा.नि./2012 पुनरीक्षण ग्रहीता के आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम कोडिया पटवारी हल्का नं0 15 तह0 गौहरगंज जि0 रायसेन में स्थित है जिसका खसरा क0 63 रकवा 5.65 एव खसरा क0 64/1/2 रकवा 1 एकड कृषि भूमि पर हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए अवैद्यानिक सीमांकन दिनॉक 08.06.2012 से दु:खी होकर निम्नलिखित तथ्य व आधारों के तहत पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है:—

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1377 –पीबीआर/2014 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–6–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 8.6.2012 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 8.6.2012 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 15.4.2014 को 19 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया गया है कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी लगभग 19 माह तक किन कारणों से नहीं हो सकी और न ही जानकारी श्रोत ही बतलाया गया है । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत किया जाना मान्य किया जाता है । जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, यह निगरानी सीमांकन की कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा अभी सीमांकन आदेश पारित नहीं किया गया है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य प्रस्तुत होने एवं प्री–मेच्योर होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	